भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3689

11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों को सहायता

3689. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड राज्य में, हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से सहायताप्राप्त महिला स्व-सहायता समूहों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और कुल संख्या क्या है;

(ख) इन महिला स्व-सहायता समूहों की आय, आजीविका, कौशल विकास, विपणन, वित्तीय समावेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कौन-सी योजनाएं और प्रावधान कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित रूप से तीसरे पक्ष से संपरीक्षा और प्रभाव आकलन कराया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संपरीक्षा और मूल्यांकन में क्या प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें सामने आई हैं तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) देश भर में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और उन्हें तब तक लगातार पोषित करने एवं सहायता देने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है जब तक कि वे एक निश्चित अवधि में अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि हासिल न कर लें और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार न कर लें। जून 2026 तक संचयी रूप से 10.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 92 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में एकजुट किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग

द्वारा उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र सहित जिला-वार डीएवाई-एनआरएलएम के माध्यम से सहायता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का विवरण और कुल संख्या अनुबंध - I में दी गई है।

(ख) महिला स्वयं सहायता समूहों की आय, आजीविका, कौशल विकास, विपणन, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत उप-योजनाएं और उनके प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

i) उप-योजना के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) गरीबों के टिकाऊ संस्थानों, उनके क्षमता निर्माण, आजीविका, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, वाश (एफएनएचडब्ल्यू) और लैंगिक समावेशन जैसे सामाजिक विकास परिणामों को प्रभावी बनाने को बढ़ावा देता है।

ii) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) एक समर्पित घटक है जो निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देता है:

1. एसवीईपी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को छोटे गैर-कृषि उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।

2. वन स्टॉप फैसिलिटी (ओएसएफ) नियामक अनुपालन, बड़े बाजारों तक पहुंच, बैंक ऋण, उत्पाद विकास, गुणवत्ता मानकीकरण और अन्य व्यवसाय विकास सेवाओं की सुविधा प्रदान करके विकास के चरण वाले नैनो उद्यमों को उन्नत सहायता प्रदान करता है ताकि उद्यम के विस्तार को सक्षम बनाया जा सके।

3. सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी) वित्त, कौशल विकास और बाजार संपर्कों तक पहुंच में सुधार करके नैनो उद्यमों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे ग्रामीण सूक्ष्म-उद्यमों के सतत विकास के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।

4. क्लस्टर विकास प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार के जोखिमों को कम करने के लिए साझा संसाधनों और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर सामूहिक उद्यम वृद्धि को बढ़ावा देता है, साथ ही व्यापार नियोजन, बाजार संपर्क, वित्त तक पहुंच और कौशल उन्नयन के माध्यम से मजबूत बाजार क्षमता वाले कारीगरों तथा क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों की सहायता करता है।

5. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) का उद्देश्य सुरक्षित, किफायती और समुदाय-प्रबंधित ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना है, जिससे दूर-दराज के गांवों में संपर्कता में सुधार हो सके।

6. इनक्यूबेटर पहल महिलाओं के स्वामित्व वाले या महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास-उन्मुख उद्यमों को पोषित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

iii) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एक उप-योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य खेती के मॉडल, कृषि-आधारित आजीविका, जिसमें टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल पशुधन-आधारित आजीविका भी शामिल है, में व्यवस्थित निवेश करके कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को जीवन-निर्वाह करने वाली कृषकों से अधिशेष उत्पादक के रूप में परिवर्तित करना है। यह उप-योजना कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों के संवर्धन, गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) की वैज्ञानिक खेती/संग्रहण, मूल्य श्रृंखला विकास, पशुधन संबंधी पहलों और एकीकृत कृषि क्लस्टर को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

iv) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना और रोजगार से जुड़े कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उनके लिए सतत आजीविका को बढ़ावा देना है। यह योजना इस बात को अनिवार्य बनाती है कि शामिल किए गए उम्मीदवारों में से कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों में मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन और वेतनयुक्त रोजगार में प्लेसमेंट प्रदान किया जाता है।

v) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। आरसेटी का उद्देश्य न्यूनतम 70% सेटलमेंट (जिसमें अधिकतम 10% वेतनयुक्त रोजगार शामिल है) के अधिदेश के साथ स्वरोजगार और सूक्ष्म-उद्यम विकास तथा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दो वर्ष तक प्रशिक्षुओं को ऋण-संपर्क की सुविधा और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना है।

इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उत्पादों की बाजार तक पहुंच को मजबूत करने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम निम्नलिखित प्रयास कर रहा है:

i) ग्रामीण विकास विभाग ने एसएचजी उत्पादों के संवर्धन के लिए "सरस", "सरस आजीविका" और "आजीविका" के रूप में ब्रांड पंजीकृत किए हैं।

ii) सरस ब्रांड को लोकप्रिय बनाने और शहरी बाजारों में एसएचजी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले और 1 फूड फेस्टिवल तथा 50 से अधिक राज्य स्तरीय सरस मेले आयोजित किए जाते हैं।

iii) एसएचजी सदस्यों के चयनित उत्कृष्ट उत्पादों की बिक्री के लिए मध्य दिल्ली में एक रिटेल स्टोर- सरस आजीविका गैलरी संचालित किया जा रहा है। इसी तरह, राज्य भी राज्य के ब्रांडों के तहत खुदरा दुकानें संचालित करते हैं।

iv) एसएचजी के क्यूरेटेड उत्पादों को बेचने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई-सरस स्थापित किया गया है। एसएचजी उत्पादों के संवर्धन के लिए अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों/मंचों जैसे जीईएम, ओएनडीसी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट के साथ गठजोड़/साझेदारी की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत पहले से ही एक व्यापक निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) ढांचा लागू किया है, जिसमें तीसरे पक्ष के मूल्यांकन, लोकओएस के माध्यम से रियल-टाइम एमआईएस-आधारित निगरानी, आवधिक डेटा सत्यापन तथा क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन, और परिणाम-आधारित निगरानी शामिल है। डीएवाई-एनआरएलएम योजना और इसकी उप-योजना के मूल्यांकन और इसके प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

3आईई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (2025), जो 9 राज्यों में 2019 और 2024 में आयोजित डेटा संग्रह के दो दौरों पर आधारित है तथा जिसमें लगभग 23,000 परिवार शामिल थे, में पाया गया कि एनआरएलएम ब्लॉक में घरेलू आय में 9.5% की वृद्धि हुई, जबकि परिपक्व सामुदायिक संस्थान क्लस्टर में आय में 12% से 33% तक की वृद्धि दर्ज की गई। इस अध्ययन में प्रति व्यक्ति घरेलू खपत में 6-11% की वृद्धि के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण, आजीविका विविधीकरण और समग्र घरेलू कल्याण में सुधार की भी सूचना दी गई है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के नीति आयोग के मूल्यांकन (2025) ने डीएवाई-एनआरएलएम को अत्यधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली कार्यक्रम के रूप में आंका, जिसमें बढ़ी हुई आय, विविध आजीविका के अवसरों, उन्नत वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता, महिलाओं के बीच अधिक आत्मविश्वास और मजबूत सामुदायिक संस्थानों तथा अन्य विकास पहलों के साथ अभिसरण के माध्यम से बेहतर सामाजिक समावेशन में इसके योगदान का उल्लेख किया गया है। ये निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार करने में डीएवाई-एनआरएलएम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

'उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों को सहायता' के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3689 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

उत्तराखंड राज्य में बनाए गए एसएचजी की कुल संख्या का विवरण:-

क्र. सं.	**जिला**	**बनाए गए एसएचजी की कुल संख्या**
1	अल्मोड़ा	6,968
2	बागेश्वर	3,171
3	चमोली	6,362
4	चंपावत	2,585
5	देहरादून	4,246
6	हरिद्वार	6,039
7	नैनीताल	5,440
8	पौड़ी गढ़वाल	7,457
9	पिथौरागढ़	5,320
10	रुद्र प्रयाग	2,754
11	टिहरी गढ़वाल	6,567
12	उधम सिंह नगर	8,033
13	उत्तरकाशी	5,614
	कुल	**70,556**
